न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 149/2011 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :— 2011/00081

उनवान

लीलाधर पुत्र श्री सीताराम कौम ठाकुर निवासी ग्राम विरौंधा तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार , तहसील धौलपुर जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 18.07.2011 प्र. सं. 35/2006 उनवान लीलाधर बनाम सरकार।

अभिभाषगगण :—

1. वकील अपीलांट श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक—21.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी एक दावा इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि अपीलाण्ट/वादी ने साविक आराजी खसरा नम्बर 1004/1 रकवा 02 बीघा के लिए व 2370 रकवा 04 बीघा 7 विस्वा के लिए व 2179 रकवा 09 बीघा 10 विस्वा में से 06 विस्वा के लिए, 2497 में से 13 विस्वा को आवंटित किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष दिनांक 26.08.1974 को पेश किया। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26.08.1974 को मौके पर अपीलाण्ट/वादी का आधिपत्य होने की सिफारिश पर उक्त खसरा नम्बर आवंटित कर दिये। परन्तु सहवन से अमल दरामद करना रह गया जिसका ज्ञान अपीलाण्ट/वादी को नहीं रहा और वह समझता रहा कि पूरी आवंटित भूमि पर उसका नाम अंकित हो चुका है। करीब 02 माह पूर्व अपीलाण्ट/वादी को इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट/वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने से रह गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो को ही बहस कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की विवेचना कानूनी तौर पर नही करके मनमाने तौर पर पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट अपने वाद को पुष्ट करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बिना किसी आधार के दावा दायर किया था। विवादित आराजी आवंटन के समय पोखर थी और वर्तमान में भी पोखर दर्ज है, जो सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है। आवण्टन कमेटी को किस्म परिवर्तन के बिना आवंअन करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की पूर्ण विवेचना की जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ कायम की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैं :—

6. <u>तनकी संख्या 01 व 02</u> **''आया विवादित आराजी वादी को दिनांक 26.08.1974 को आवंटित की गई। वादी आवण्टन से पूर्व एवं आवण्टन के बाद से निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं आया वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है''** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों तनकी एक दूसरे की पूरक होने के कारण एक साथ निस्तारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1, काश्त करने के लिए नई जमीन दिए जाने हेतु आवेदन–पत्र की पुश्त पर '' पोखर से बारानी प्रथम में किस्म परिवर्तन की स्वीकृति ली जाकर सर्व सम्मति से आवंटन किया जाना स्वीकार है'' अंकित है। हमारी दृष्टि में आवंटन सलाहकार समिति, विवादित आराजी की किस्म पोखर को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अपने कथित आवंटन बाबत् पट्टा/सनद, कोई दखल पत्र आदि पेश नहीं किये हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त होने का प्रश्न है, विवादित भूमि पर काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरी भी अपीलाण्ट द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। इस प्रकार आदेश दिनांक 26.08.1974 को अपीलाण्ट के हक में आवण्टन होना नहीं माना जा सकता। प्रदर्श–1 से यह सिद्ध होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित भूमि की किस्म पोखर दर्ज थी तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2062–65 प्रदर्श–4 में भी पोखर दर्ज है, जो जल संग्रहण क्षेत्र की श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की भूमि का आवंटन प्रतिबन्धित है। अतः अपीलाण्ट को विवादित भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं एवं ना ही रैस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित भूमि के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी उचित ही अपीलाण्ट/वादीगण के खिलाफ निर्णित की हैं। जिसमें हम कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. तनकी संख्या 3 " **आया विवादित आराजी आवंटन से पूर्व गै0 मु0 पोखर दर्ज थी तथा वर्तमान में भी पोखर दर्ज है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता और ना ही धारा 16(6) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी को अधिकार प्राप्त होते हैं**" जैसा कि तनकी संख्या 01 व 02 की विवेचना में स्पष्ट किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2062–65 प्रदर्श–4 में विवादित आराजी गै0मु0 पोखर दर्ज है, जो जल संग्रहण क्षेत्र की श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की भूमि का आवंटन प्रतिबन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष भी त्रुटिहीन हैं।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अपीलाधीन निर्णय तनकीवार, तार्किक है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official